Orig. Recive copy

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

सेवामें,

**प्रबन्धक**
**यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल,खुखुन्दू**
**देवरिया।**

दिनांक: 01-11- 2019

पत्रांकः मान्यता/ 1055-1056/2019–20

**विषयः अशासकीय पू0मा0वि0 (नर्सरी से 08तक) की अग्रेजी माध्यम स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपके प्राप्त प्रार्थना पत्र के कम में अवगत कराना है कि शासनादेशानुसार मान्यता की नयी नियमावली के संदर्भ में निम्न प्राविधान है:–**"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्ललिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंधन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"**

उक्त के कम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करने हेतु जॉच खण्ड शिक्षा अधिकारी,से करायी गयी जॉचोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने पर आपको कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत अस्थायी मान्यता **पत्रांकः आदेश सं–परिषद/क0लि0/मान्यता/11274–75/2015–16 दिनांकः 29, दिसम्बर 2015** के क्रम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त अग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

(ओमप्रकाश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

**पृ0सं0:/मान्यता/ /2019–20 तद्दिनांकित।**
प्रतिलिपिः–खण्ड शिक्षा अधिकारी,भलुअनी,देवरिया को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

आदेश सं0–परिषद / क0लि0 / मान्यता / 1125-76 / 2015–16 दिनांक – 29 दिसम्बर 15

सेवा मे,

**प्रबन्धक,**
**यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल,**
**खुखुन्दू, देवरिया।**

**विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, खुखुन्दू, देवरिया** को दिनांक **25.12.2015** से दिनांक **24.12.2018** तक तीन वर्षो की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा **08** तक अंग्रेजी माध्यम की अनंन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
iii. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्त्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।
vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

vi. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

vii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

**विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल**
**कुल निर्मित क्षेत्र**
**क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल**
**कक्षाओं की संख्या**
**प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडारागार के लिए कक्ष**
**बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय**
**पेयजल सुविधा**
**मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई**
**बाधारहित पहुँच**
**अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता**

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि व्यक्तिओं के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. *विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए* और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किऐ जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **34** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तो जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

**(मनोज कुमार मिश्र)**
**जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी**
**देवरिया।**

पृ0सं0: परिषद्/क0लि0/मान्यता/ /2015–16/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), सप्तम मण्डल, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

Scanned with OKEN Scanner

Orig.
Recive copy

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,देवरिया।

पत्रांकःमान्यता/ /2019–20 दिनांक जुलाई 2019

खण्ड शिक्षा अधिकारी
भलुअनी जनपद–देवरिया।

विषयः यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, खुखुन्दू जनपद–देवरिया को नर्सरी से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, खुखुन्दू जनपद–देवरिया ने अपने पत्र दिनांक 15.07.2019 के माध्यम से उनके विद्यालय को जॉचोपरान्त (कक्षा नर्सरी से 08 तक अंग्रेजी माध्यम) स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में विद्यालय को प्रदत मान्यता की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विद्यालय की स्थलीय जॉच करते हुए यदि विद्यालय स्थाई मान्यता प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूर्ण करता है, तो उसे नियमानुसार स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नकःउक्तवत्।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

पृ0सं0:/मान्यता/4414-15 /2019–20 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–प्रबन्धक, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, खुखुन्दू जनपद–देवरिया को उनके पत्र दिनांक 15.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

19/7/19

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

सुरेन्द्र यादव
24.10.2019

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

आदेश सं0–परिषद्/क0लि0/मान्यता/ [illegible] /2015–16 दिनांक [illegible]

सेवा मे,

प्रबन्धक,
यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल,
खुखुन्दू, देवरिया।

**विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, खुखुन्दू, देवरिया** को दिनांक **25.12.2015** से दिनांक **24.12.2018** तक तीन वर्षो की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा **08** तक अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
iii. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।
vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

Principal

Manager
Universal Public School
DEORIA

Principal
UNIVERSAL PUBLIC SCHOOL
Khukhundoo - Deoria

Principal
Central Academy
Chauri Chaura, Gorakhpur

Scanned with OKEN Scanner

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा--स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओ की संख्या
प्राध्यापक--सह--कार्यालय--सह--भंडारागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड--डे--मिल पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर--मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा--स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम--1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि व्यक्तिओं के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किएं जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 34 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो जो समय--समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

(मनोज कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

Principal
Gyan Kunj Academy
Banshi Bazar (Ballia)

पृ0सं0: परिषद्/क0लि0/मान्यता/ /2015--16/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि-- सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), सप्तम मण्डल, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

Manager
Universal Public School
DEORIA

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

Principal
UNIVERSAL PUBLIC SCHOOL

Principal
Central Academy
Chauri Chaura, Gorakhpur

Scanned with OKEN Scanner

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

**No. CBSE/Aff/2132522/SL-03018-1516/2017/1217088** **Dated 23.02.2017**

**The Manager,**
**Universal Public School,**
**Visunpura Khukhundu Deoria,**
**Salempur, Uttar Pradesh-274501.**

Sub: **<u>Fresh Composite Provisional Affiliation upto Secondary Level - regarding.</u>**

Sir/Madam,

With reference to your online application dated 04.07.2014 on the subject cited above, I am directed to convey the sanction for **<u>Composite Provisional Affiliation for Secondary School Examination</u>** of the Board for a period of **<u>three years w.e.f. 01.04.2017 to 31.03.2020.</u>**

The above sanction is subject to fulfilment of following conditions:-

1. The affiliation Code Number allotted to your school is **2132522.** This may please be noted and quoted for any further correspondence with the Board.
2. The school will follow the syllabus on the basis of curriculum prescribed by NCERT/CBSE and text books publishing by NCERT/CBSE for the Middle Classes. The school will follow syllabus and courses as per scheme of studies prescribed by the Board for Secondary/Sr. Secondary School Examination and changes made therein from time to time.
3. The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt from time to time.
4. The school will enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in the Affiliation Bye-Laws of the Board which shall not in general exceed the optimum number as under :-

| | Campus area | Enrolment | No. of Sections (pre-primary to X) |
|---|---|---|---|
| (a) | 1.0 acre | 1250 | 02 in each class |
| (b) | 1.5 acre | 1875 | 03 in each class |
| (c) | 2.0 acre | 2500 | 04 in each class |

(d) School running on bigger campus of more than 02 acres, the number of students shall be restricted as per the actual facilities in the school which shall be proportionate to the optimum number mentioned at (a), (b) and (c) above.

(e) Schools running on less than 01 acre campus shall restrict number of students as follows:-

| | Category | Area of land | No. of students |
|---|---|---|---|
| (i) | Secondary School | 2000 sq. mtrs | 600 upto Class X |
| (ii) | Sr. Secondary School with two streams | 3000 sq. mtrs | 900 upto Class XII |

5. The school will provide well equipped Laboratories, Library and other facilities as per norms of the Board. The relevant books to the academic level of students to be made available in the library and would keep at least **05 books per student** subject to a minimum of 1500 books excluding text books.
6. The school will also abide itself by the conditions of affiliation already prescribed by the State Government concerned.
7. As per Affiliation Bye-laws the **optimum strength** of a section should not exceed more than 40 students.
8. School should have at least one adequately equipped computer lab with a minimum of 10 computers and would ensure **computer student ratio of 1:20** at least. Proper software along with facility of Broad Band connectivity with the feature of 'internet always on' from any service provider to be ensured.
9. **The section teacher ratio of 1:1.5** is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
10. The school and its records shall be open for inspection by an officer/official of the Board or an authorized representative of the Board/State Educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

Contd..2